

12/1/25

उपपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार  
आवाज लगावने के बाद भी कोई हाजिर नहीं  
आया। अतः व. पत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं  
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर  
दाखिल दफ्तर हो।

५